भारत में स्कूली शिक्षा की बढ़ती लागत: सार्वजनिक शिक्षा में तत्काल सुधार की आवश्यकता क्यों?

यूपीएससी प्रासंगिकता:
(सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2 – शिक्षा एवं सामाजिक न्याय)

चर्चा में क्यों?

एन.एस.एस. का 80वाँ दौर सर्वेक्षण (अप्रैल–जून 2025) "व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण: शिक्षा" पर यह खुलासा करता है कि **अनुच्छेद 21ए** के तहत 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी के बावजूद, भारतीय परिवार स्कूल फीस और निजी कोचिंग पर रिकॉर्ड-उच्च राशि खर्च कर रहे हैं।[1] आँकड़े निजी स्कूलों में नामांकन में तेज़ वृद्धि, ट्यूशन लागत में भारी इज़ाफ़ा, और शहरी तथा ग्रामीण छात्रों के बीच बढ़ती असमानताओं को दर्शाते हैं। ये निष्कर्ष स्कूली शिक्षा की **सहननीयता (affordability), पहुँच, और समानता** के संबंध में गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करते हैं।

पृष्ठभूमि: संवैधानिक वादा बनाम वास्तविकता

- **अनुच्छेद 21ए** (86वाँ संशोधन अधिनियम, 2002) 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए **मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE)** प्रदान करता है।
- **एनईपी 2020 (NEP 2020)** इस दृष्टिकोण का विस्तार करते हुए 2030 तक 3 से 18 वर्ष की आयु तक सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा पूर्ण करने का लक्ष्य रखता है।

हालांकि, भारत की शिक्षा प्रणाली एक गहरे विरोधाभास को दर्शाती है:

- **संवैधानिक रूप से**, शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए,
- **लेकिन व्यवहार में**, परिवार निजी स्कूलों, कोचिंग और पाठ्यक्रम-संबंधी खर्चों पर भारी खर्च कर रहे हैं।

यह विसंगति सरकारी स्कूली शिक्षा में संरचनात्मक कमज़ोरियों, माता-पिता की बढ़ती आकांक्षाओं और निजी शिक्षा प्रणालियों पर बढ़ती निर्भरता को उजागर करती है।

नामांकन रुझान: निजी स्कूलों की ओर बदलाव

एन.एस.एस.-80 सर्वेक्षण राष्ट्रीय नामांकन पैटर्न में निम्नलिखित बदलाव दिखाता है:

- **सरकारी स्कूलों में: 55.9%**
- **निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में: 11.3%**
- **निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में: 31.9%**

शहरी भारत में एक नाटकीय बदलाव दिखता है: शहरी बच्चों में से **51.4%** निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह **24.3%** है। आश्चर्यजनक रूप से, लिंग अंतर न्यूनतम है — निजी स्कूलों में **34% लड़के** बनाम **29.5% लड़कियाँ**।

एन.एस.एस. के 75वें दौर (2017–18) की तुलना में, निजी नामांकन में हर स्तर पर वृद्धि हुई है, विशेष रूप से ग्रामीण प्राथमिक और शहरी मिडिल स्कूलों में। निजी स्कूली शिक्षा पर यह बढ़ती निर्भरता परिवारों के लिए उच्च शैक्षिक खर्च में सीधे परिवर्तित होती है।

स्कूली शिक्षा का अर्थशास्त्र: माता-पिता वास्तव में कितना भुगतान करते हैं?

सरकारी और निजी स्कूलों के बीच लागत का अंतर बहुत बड़ा है:

विवरण	ग्रामीण क्षेत्र (वार्षिक शुल्क)	शहरी क्षेत्र (वार्षिक शुल्क)
सरकारी स्कूल	Rs. 823 (प्री-प्राइमरी) से Rs. 7,308 (उच्च माध्यमिक)	Rs. 1,630 से Rs. 7,704
निजी स्कूल	Rs. 17,988 से Rs. 33,567	Rs. 26,188 से Rs. 49,075

इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है:

- प्री-प्राइमरी निजी स्कूल फीस approx **सबसे गरीब 5% परिवारों की मासिक आय** के बराबर है।
- उच्च माध्यमिक निजी स्कूल फीस approx **तीसरे आय दशमक (3rd income decile) के मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE)** के बराबर है।

इस प्रकार, शिक्षा उत्तरोत्तर एक **विलासिता वस्तु** (luxury good) बनती जा रही है, न कि एक **सार्वजनिक वस्तु** (public good)। यह समानता और सामाजिक गतिशीलता के बारे में गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करता है।

कोचिंग का विस्फोट: समानांतर छाया शिक्षा प्रणाली

निजी कोचिंग अब भारत की स्कूली शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में गहराई से समा चुकी है।

निजी ट्यूशन लेने वाले छात्र	
ग्रामीण	**25.5%**
शहरी	**30.7%**

कक्षा स्तर के साथ कोचिंग में तेज़ी से वृद्धि होती है — प्री-प्राइमरी में **10–13%** से लेकर माध्यमिक स्तर पर **40–45%** तक।

औसत वार्षिक कोचिंग लागत	
ग्रामीण	Rs. **7,066**
शहरी	Rs. **13,026**
शहरी उच्च माध्यमिक छात्र	Rs. **22,394**

IAS PCS Institute
Result
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

अनुसंधान से पता चलता है कि उच्च आय वाले परिवार और बेहतर शिक्षित माता-पिता कोचिंग में निवेश करने की अधिक संभावना रखते हैं। विरोधाभासी रूप से, कई निजी स्कूल के शिक्षक कम वेतन वाले और अप्रशिक्षित होते हैं, जिससे छात्रों को अकादमिक समर्थन के लिए ट्यूशन पर निर्भर रहना पड़ता है। कोचिंग भी एक **स्टेटस सिंबल** बन जाता है, जो सामाजिक-आर्थिक विभाजन को और चौड़ा करता है।

असमानता के आयाम: लागतें कैसे दो-स्तरीय शिक्षा प्रणाली का निर्माण करती हैं?

निजी स्कूली शिक्षा की उच्च लागत + निजी ट्यूशन के उदय ने एक **दो-स्तरीय शिक्षण प्रणाली** (two-track learning system) का निर्माण किया है:

- **धनी परिवार:** निजी स्कूलों तक पहुँच, प्रीमियम कोचिंग के लिए भुगतान, और बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं।
- **गरीब परिवार:** बुनियादी स्कूली शिक्षा का खर्च उठाने के लिए भी संघर्ष करते हैं, अक्सर कर्ज़ में डूबने को मजबूर होते हैं, और उच्च स्कूली स्तरों पर ड्रॉपआउट बढ़ जाते हैं।

यह आरटीई अधिनियम, एनईपी 2020 और **एसडीजी 4** द्वारा गारंटीकृत **समान और समावेशी शिक्षा** के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। सरकारी स्कूल नामांकन में गिरावट भी सार्वजनिक निवेश की दक्षता को कम करती है और सरकारी शिक्षा प्रणालियों में सामुदायिक विश्वास को कमज़ोर करती है।

प्रमुख निष्कर्ष: बेहतर स्कूल = कोचिंग पर कम निर्भरता

अंकुश अग्रवाल, पारुल गुप्ता और देबासीस मोंडल (जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज) द्वारा किए गए 2024 के एक अध्ययन में पाया गया है:

> "निजी ट्यूशन स्कूल की गुणवत्ता से नकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। बेहतर स्कूलों के छात्र कोचिंग पर कम निर्भर करते हैं।"

यह पुष्टि करता है कि भारत के शिक्षण संकट का वास्तविक समाधान **स्कूल की गुणवत्ता को मज़बूत करना** है—न कि कोचिंग का विस्तार करना।

पहचानी गई चुनौतियाँ

- सरकारी स्कूलों में **शिक्षण की ख़राब गुणवत्ता** और शिक्षकों की कमी।
- **अवधारणा अंतराल (Perception Gap):** माता-पिता निजी स्कूलों को अनुशासन और अंग्रेजी माध्यम से जोड़कर देखते हैं।
- **कमज़ोर बुनियादी ढाँचा** और डिजिटल विभाजन।
- **परीक्षा-केंद्रित शिक्षण**, जिससे कोचिंग पर निर्भरता बढ़ती है।
- सीमित जवाबदेही और आरटीई मानदंडों का असमान कार्यान्वयन।
- शिक्षा का बढ़ता **व्यावसायीकरण** (Commercialization)।

आगे की राह: सार्वजनिक स्कूली शिक्षा का पुनरुद्धार आवश्यक है

शिक्षा के संवैधानिक अधिकार की रक्षा करने और असमानता को कम करने के लिए, भारत को तत्काल निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

1. शिक्षण गुणवत्ता को मज़बूत करना

- प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती करना।
- शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करना।
- पारदर्शी प्रदर्शन निगरानी लागू करना।

2. बुनियादी ढाँचे का उन्नयन

- स्मार्ट कक्षाएँ
- प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय और खेल सुविधाएँ
- ग्रामीण स्कूलों में डिजिटल पहुँच

3. शिक्षण परिणामों में सुधार

- उपचारात्मक कक्षाएँ (Remedial Classes) और मूलभूत साक्षरता कार्यक्रम।
- परीक्षा-केंद्रित शिक्षण के बजाय निरंतर मूल्यांकन।
- एनईपी 2020 सुधारों का एकीकरण।

4. निजी स्कूलों और कोचिंग का विनियमन

- अत्यधिक फीस पर सीमा लगाना।
- शुल्क संरचनाओं का अनिवार्य प्रकटीकरण।
- छात्र कल्याण के लिए कोचिंग केंद्रों का विनियमन।

5. सार्वजनिक विश्वास बहाल करना

- स्कूल प्रबंधन समितियों (SMC) के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी।
- उच्च प्रदर्शन करने वाले सरकारी स्कूलों की सफलता की कहानियाँ (जैसे: दिल्ली मॉडल)।

निष्कर्ष

भारत एक महत्वपूर्ण दोराहे पर खड़ा है। यदि सार्वजनिक स्कूली शिक्षा कमज़ोर होती रही और निजी स्कूली शिक्षा डिफ़ॉल्ट विकल्प बन गई, तो शिक्षा अब अधिकार नहीं रहेगी, बल्कि केवल उन्हीं लोगों के लिए सुलभ **विशेषाधिकार** बन जाएगी जो इसका खर्च उठा सकते हैं।

सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्कूलों को मज़बूत करना महज़ एक नीतिगत विकल्प नहीं है—यह एक **नैतिक, संवैधानिक और विकासात्मक अनिवार्यता** है। केवल सरकारी स्कूली शिक्षा को पुनर्जीवित करके ही भारत हर बच्चे के लिए समानता, समावेशन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित कर सकता है, जिससे **अनुच्छेद 21ए** की दृष्टि और **एनईपी 2020** के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

IAS-PCS Institute

यूपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: "निजी स्कूल नामांकन में वृद्धि और कोचिंग पर बढ़ती निर्भरता भारत की सार्वजनिक स्कूली शिक्षा प्रणाली की गहरी विफलता को दर्शाती है।" **एन.एस.एस. के 80वें दौर के निष्कर्षों** के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (150 शब्द)

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806